<u>प्रैस प्रकाशनी</u>

संसद का बजट सत्र, 2013 (पंद्रहवी लोक सभा का 13वां सत्र और राज्य सभा का 228वां सत्र) गुरूवार, 21 फरवरी, 2013 से प्रारंभ होगा और सरकारी कार्य की आवश्यकता के अधीन रहते हुए यह सत्र शुक्रवार, 10 मई, 2013 को समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान, दोनों सदन शुक्रवार, 22 मार्च, 2013 को मध्यावकाश के लिए स्थगित होंगे और सोमवार, 22 अप्रैल, 2013 को पुन: एकत्र होंगे ताकि विभागीय संसदीय स्थाई समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों की जांच कर सकें तथा सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। इस सत्र में कुल 34 बैठकें होंगी - 21 बैठकें मध्यावकाश से पूर्व सत्र के पहले भाग के दौरान तथा 13 बैठकें सत्र के दूसरे भाग के दौरान।

सत्र के दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वर्ष 2013-14 के लिए रेल तथा सामान्य बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और झारखंड के संबंध में राज्य बजट निपटाया जाएगा। तथापि, सत्र के दौरान अनिवार्य विधायी और गैर-विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए भी पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रपति 21 फरवरी, 2013 को पूर्वाह्न् 11.00 बजे संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित करेंगे। वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) मंगलवार, 26 फरवरी, 2013 को लोक सभा में प्रश्न काल के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में बुधवार, 27 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) गुरूवार, 28 फरवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट सत्र, 2013 हेतु सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री ने 15 फरवरी, 2013 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बैठक की सह-अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान, बजट सत्र, 2013 के लिए 71 मदों [55 विधेयकों, 13 वित्तीय मदों और 03 गैर-विधायी मदें] का चयन किया गया। सत्र के लिए चुने गए विधेयकों में निम्न तीन अध्यादेश शामिल है:-

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 1);

(ii) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 2); और

(iii) दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 3)

बजट सत्र, 2013 में लिए जाने के लिए चुने गए सरकारी कार्य की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

<u>अनुबंध</u>

I - पुर:स्थापन के लिए विधेयक

क्रम सं.   विधेयक का नाम

1. कृषि जैव सुरक्षा विधेयक, 2013
2. भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2013
4. पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
5. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013
6. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 - भारत-बंगलादेश भू-सीमा
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013
9. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल विधेयक, 2013
10. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2013
11. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 -- बीईएसयू का आईआईईएसटी में उच्चीकृत करना
12. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013
13. भवन और सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2013
14. राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर भंगा खंड) विधेयक, 2013
15. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2013
16. जलदस्युता विधेयक, 2013

II. पुर:स्थापन, विचार और पारित करने के लिए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2013
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013
3. संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2013
4. दंड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013

III. विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक

1. संविधान (117वां संशोधन) विधेयक, 2012 – अ.ज./अ.ज.ज. को सेवाओं में आरक्षण, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
2. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
3. संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
4. कंपनी विधेयक, 2012, लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में

5. शैक्षिक अधिकरण विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
6. सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित रूप में
8. कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और सुधार) विधेयक, 2012, लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
9. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2012 लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
10. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधायक, 2010
11. भाण्डागारण निगम संशोधन विधेयक, 2011
12. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011
13. तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
14. भूमि अर्जन, पुनर्वास और व्यवस्थापन विधेयक, 2011
15. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010
16. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012
17. संविधान (110वां संशोधन) विधेयक, 2009 – पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण
18. संविधान (114वां संशोधन) विधेयक, 2010 - न्यायधीशों की सेवानिवृति की आयु को बढ़ाना
19. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011
20. नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011
21. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011
22. स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011
23. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
24. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में तथा प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित
25. बीमा विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008
26. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011
27. सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011
28. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
29. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
30. साम्प्रदायिक हिंसा (संशोधन, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005
31. यातना निवारण विधेयक, 2010 लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में तथा प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित
32. विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010
33. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप् में तथा प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित
34. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012
35. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

IV. वित्तीय कार्य

1. वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।
2. वर्ष 2013-14 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
3. वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की तीसरी अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
4. वर्ष 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
5. वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
6. वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा।
7. वर्ष 2013-14 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।
8. वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।
9. वर्ष 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदानों (रेल) पर चर्चा और मतदान।
10. वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।
11. बजट (झारखंड), 2013 -14 पर सामान्य चर्चा।
12. वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान।
13. वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान।

V. गैर-विधायी कार्य

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
2. झारखंड राज्य के संबंध में दिनांक 18.1.2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन चाहले वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा।
3. '2012-13 के लिए लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी मामलों' के संबंध में रेल अभिसमय समिति (2009) की तीसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर विचार।